तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोपालसिंह विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 171 / 2020**	

20.10.20

अपीलार्थी गोपालसिंह विश्नोई, पता ग्राम खेतासर, तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.09.2020 में उसके द्वारा (1) राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) से जरिये पत्रांक 5138 दिनांक 09.10.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति औसियां को पत्रांक जिपजो /आरटीआई / 18–19 / 4382–83 दिनांक 11.09.2020 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने लिखा गया। प्रार्थीपक्ष द्वारा दिनांक 03.09.2020 को लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित करता है तथा उसके विरूद्ध दिनांक 19.09.20 को ही अपील तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया, जबकि 30 दिवस में सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है अतः प्रथम अपील असामयिक होने से भी निरस्त योग्य है। लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर) द्वारा प्रार्थी की सूचना का अधिकार अधि. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पंजीयन एवं विशेषाधिकारी राजस्थान सूचना आयोग जयपुर के निर्णय क्रमांक रासूआ / अपील / 3552 / 2018 / 5697 दिनांक 26.06.2019 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति औसियां को लिखा परन्तु उक्त लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के तहत स्थानान्तरण किया गया या नहीं, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी (मुख्य

लगातार...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.12 17:29:25 IST
Reason: SelfAttested

Digitally signed by Anoop Singh In
Date: 2021.01.12 17:29:25 IST
Reason: SelfAttested

कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारण न करना, विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है। यद्यपि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी औसियों को प्रेषित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा आदिनांक तक सूचना नहीं देने पर प्रार्थी अब भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश कर सकता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।